न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 46/2021

कौशल्या आदि बनाम नरपत सिंह आदि

प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः– 06.07.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा संख्या 11/2021 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में कैवियट प्राप्त होने पर कैवियटकर्ता को तलब कर उभयपक्ष को स्थगन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमियो के बाबत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में उक्त भूमियों के बाबत वादपत्र उनवानी छीतरमल बनाम नरपत सिंह मुकदमा नम्बर 260/2011 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के विचाराधीन रहते हुये जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपने जवाब दावा में उक्त भूमियों का मौके पर 30 वर्ष पूर्व बंटवारा होने के अभिकथन कर रेस्पोडेंट नम्बर 1 के बंटवारे में खसरा नम्बर 4135 रकबा 2.18 हैक्टेयर में से उक्त भूमियों में से उत्तरी पश्चिमी कोने की 0.54–1/2 हैक्टेयर भूमि उत्तरी पश्चिम तरफ की अपने हक हिस्से एवं अधिकार की भूमिया अपने जवाब मय नजरी नक्शा में अंकित कर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जो कि मौके के वास्तविक बंटवारे के अनुसार सही अंकित किया गया है तथा शेष रेस्पोडेंट नम्बर 1 के उक्त भूमियो के अलावा शेष भूमि अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमिया है। उक्त वाद एवं अपने जवाब दावा एवं नजरी नक्शा के अभिकथनो को छिपाकर न्यायालय हाजा को मुगालता देकर एक दूसरा वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जिसमें भूमिया का विभाजन नही होना बताकर भूमियो को शामलाती बताकर एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश मिथ्या अभिकथनो के आधार पर वास्तविक बंटवारे को छिपाकर रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट नम्बर 1 अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट के हक हिस्से एवं कब्जे की भूमि में मजाहमत पैदा कर रहा है तथा अपीलांट अपनी भूमियों का समुचित उपयोग–उपभोग करने से वंचित हो रहे है एक काश्तकार को मिलने वाली सभी सुविधाओ से उक्त स्थगन आदेश की आड़ में अपीलांट वंचित हो रहा है। अपीलार्थी भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जिसका निरन्तर रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। कानूनी रूप से रिकार्डेड काश्तकार को पाबन्द नही किया जा सकता। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी कई निर्णयो में यह अवधारित किया है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबन्द नही किया जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को तामील करने की कोई कार्यवाही नही की गयी है, ना ही अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश की पालना में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना की गयी है। अत स्थगन आवेदन स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारी में दर्ज है। रेस्पोडेंट के तथाकथित जवाब पर कोई विधिक आदेश पारित नही हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने फर्द के साथ जमाबंदी खसरा नम्बर 4134,4135 ग्राम नाथुसर, नक्शा खसरा नम्बर 4135 नक्शा रघुवीर नगर प्लाट, पम्पलैट आवासीय योजना, मौके की फोटोग्राफ, अवमानना प्रार्थना पत्र, मौका कमिश्नर आवेदन, आवेदन 151 सीपीसी, शिकायती पत्र मय रजिस्टरी, पत्र सम्भागीय आयुक्त की प्रतियां प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट स्थगन वैकेट करवाकर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है। पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय में होना शेष है। अन्तरिम आदेश की अपील है। विधि अनुसार अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय नही है। स्थगन आवेदन खारिज किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वर वक्त बहस विद्वान अधिवक्ता ने फर्द के साथ जमाबंदी खसरा नम्बर 4134,4135 ग्राम नाथुसर, नक्शा खसरा नम्बर 4135 नक्शा रघुवीर नगर प्लाट, पम्पलैट आवासीय योजना, मौके की फोटोग्राफ, अवमानना प्रार्थना पत्र, मौका कमिश्नर आवेदन, आवेदन 151 सीपीसी, शिकायती पत्र मय रजिस्टरी, पत्र सम्भागीय आयुक्त की प्रतियां प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट स्थगन वैकेट करवाकर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है। पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय में होना शेष है। अन्तरिम आदेश की अपील है। विधि अनुसार अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय नही है। अन्तरिम आदेश की अपील होने के कारण इस स्तर पर पालना स्थगित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। उभयपक्ष समर्थित दस्तावेजात विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। आदेश 39 नियम 3 की पालना में विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र धारा 212 का अन्तिम निस्तारण आगामी दो माह में करना सुनिश्चित करें। अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर